# न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या–21/2021

J.B.C. Act

राजेन्द्र प्रसाद.............................................................................प्रथम पक्ष

बनाम्

राजकुमार गंभीर.............................................................................द्वितीय पक्ष

## आदेश

दिनांक 31/03/2021........ अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–134/न्या0, दिनांक–18.01.2021 के आधार पर पुनः प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के राजेन्द्र प्रसाद बनाम द्वितीय पक्ष के राजकुमार गंभीर को उक्त मकान से संबंधित कागजातों के साथ मकान के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। मकान का विवरण निम्न प्रकार है :– सरिया बाजार स्थित, खाता संख्या–155, प्लॉट सं0–4261, रकवा–15 डी0 जो विवेकानंद मार्ग में अवस्थित है।

उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन सुनने से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के राजकुमार गंभीर ने प्रथम पक्ष के राजेन्द्र प्रसाद के दुकान (मकान) पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। अतः इस वाद से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक–06.12.2018 को यथावत रखते हुए द्वितीय पक्ष को पुनः आदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर प्रथम पक्ष के मकान को निश्चित रूप से खाली करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित।

31/03/2021
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

31/03/2021
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.09 12:17:22 +05:30
Location: 192.168.1.9